आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

—:: आदेश ::—

श्रीमती रेणु सिन्हा, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, इस्लामपुर, नालन्दा सम्प्रति—सेवानिवृत्त को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक— 17.08.2007 को परिवादी श्री संजीव कुमार, पिता— श्री नगीना यादव, घर— मलिकसराय, थाना— इस्लामपुर, जिला— नालन्दा से 5,000/— रू0 रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार करने के उपरांत निगरानी थाना कांड सं0— 96/2007 दिनांक— 17.08.2007, धारा—07/13(2) सह पठित धारा —13(1) (डी.) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज किया गया एवं विशेष न्यायाधीश, निगरानी (ट्रैप), पटना द्वारा विशेष वाद सं0—61/2007 दायर किया गया।

2. श्रीमती सिन्हा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार, पटना द्वारा दिनांक— 17.08.2007 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना (कल्याण शाखा) के कार्यालय आदेश ज्ञापांक— 678/क0 दिनांक— 11.10.2007 द्वारा दिनांक— 17.08.2007 के प्रभाव से श्रीमती सिन्हा को निलम्बित करते हुए इनका मुख्यालय उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। साथ ही निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—10 में निहित प्रावधानों के तहत् इन्हें जीवन निर्वाह् भत्ता देय होने का आदेश संसूचित किया गया।

3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना (कल्याण शाखा) के आदेश ज्ञापांक 182/क0 दिनांक— 28.06.2011 द्वारा श्रीमती रेणु सिन्हा के विरूद्ध उक्त ट्रैप के मामले को लेकर आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नालन्दा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना (कल्याण शाखा) के आदेश ज्ञापांक 184/क0 दिनांक— 30.06.2011 द्वारा श्रीमती सिन्हा को इस निर्णय के साथ पत्र निर्गत की तिथि से निलम्बन मुक्त किया गया कि इनके विरूद्ध न्यायिक मुकदमा एवं विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी तथा इनके निलम्बन अवधि के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन एवं निगरानी थाना कांड सं0— 96/2007 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के उपरान्त निर्णय लिया जाएगा।

5. इसी दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 402/जि0प्रो0 दिनांक— 06.02.2013 द्वारा श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध निगरानी सहित अन्य तीन आरोपों को लेकर प्रपत्र 'क' गठित कर जिला पदाधिकारी, पटना के अनुमोदनोपरान्त आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा गया। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 2930 दिनांक— 13.06.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें श्रीमती पूनम कुमारी, प्रशिक्षण पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। इसी क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण, पटना के ज्ञापांक 07 दिनांक— 04.01.2014 में उल्लेखित आरोपों पर सचिव, समाज कल्याण विभाग,

बिहार, पटना द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 902 दिनांक– 05.02.2014 द्वारा श्रीमती रेणु सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।

6. तदालोक में आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना के आदेश ज्ञापांक 5924 दिनांक– 22.10.2014 के द्वारा श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(viii) के प्रावधानों के तहत् निम्नतर कालमान वेतन में अवनति की सजा निरूपित की गयी। साथ ही उन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए उनकी सेवा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सौंपी गयी।

7. श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकार (प्रमंडलीय आयुक्त) के इतर विभागीय कार्यवाही संचालित करने एवं दण्ड अधिरोपित करने को लेकर आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय पत्रांक 600/स्था0 दिनांक– 24.04.2015 द्वारा सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उल्लेख किया गया कि दो अलग–अलग प्राधिकारों से किसी एक कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/निलम्बन आदि अनुशासनिक कार्रवाई के समानान्तरण संचालन से प्रशासनिक कठिनाईयाँ उत्पन्न होने के साथ–साथ भ्रम की स्थिति बनती है, इस मामले में सरकार के निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

तदालोक में सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3245 दिनांक– 12.08.2015 द्वारा सूचित किया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा ही की जानी है।

8. इसी क्रम में निदेशक, आई0सी0डी0एस0, पटना के पत्रांक 1297 दिनांक– 11.04.2017 द्वारा विशेष वाद सं0–61/2007, निगरानी थाना कांड सं0– 96/2007 दिनांक– 17.08.2007 में विशेष न्यायाधीश, निगरानी (ट्रैप), पटना द्वारा दिनांक– 06.05.2016 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी। पारित न्यायादेश में श्रीमती सिन्हा को उक्त कांड में दोषी मानते हुए 02 साल की सजा एवं 10000/–रू0 जुर्माना का दण्ड अधिरोपित किया गया।

तदालोक में इस कार्यालय के पत्रांक 918/स्था0 दिनांक– 20.06.2017 द्वारा निदेशक, आई0सी0डी0एस0, पटना से इस बिन्दु पर मार्गदर्शन की माँग की गयी कि "जब निदेशालय के स्तर से पूर्व में निगरानी सहित अन्य आरोपों को लेकर श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर विभागीय दण्ड निरूपित किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में निगरानी न्यायालय द्वारा उन्हें सजा दिये जाने के उपरांत सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई इस कार्यालय के स्तर से किया जाना उचित होगा या नहीं।"

9. उक्त के संदर्भ में समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5861 दिनांक– 04.12.2017 द्वारा संसूचित किया गया है कि निगरानी न्यायालय द्वारा दिनांक– 06.05.2016 को पारित न्यायादेश के अनुसार श्रीमती सिन्हा निगरानी ट्रैप के मामले में दोषी सिद्ध हो गयी है। इस कारण से पूर्व में दी गयी शास्ति प्रमाणित गलती के अनुरूप नहीं है। इस मामले में प्रमंडलीय आयुक्त ही सक्षम प्राधिकार है। विभाग के द्वारा बदली हुई परिस्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।

10. उक्त विभागीय निदेश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के पत्रांक 619/स्था0 दिनांक– 26.03.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–20(i) के प्रावधानों के तहत् श्रीमती रेणु सिन्हा से बचाव–बयान का लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

तदालोक में श्रीमती रेणु सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 7110/2018 में दिनांक– 20.04.2018 को पारित अंतरिम आदेश की प्रति के साथ दिनांक– 25.04.2018 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का न्यायादेश पारित किया था। उक्त न्यायादेश के आलोक में श्रीमती रेणु सिन्हा के विरूद्ध संचालित कार्यवाही को इस कार्यालय के पत्रांक 192/गो0 दिनांक– 27.04.2018 द्वारा स्थगित रखा गया।

11. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.- 7110/2018 में दिनांक– 08.04.2024 को पारित आदेश में श्रीमती रेणु सिन्हा द्वारा दायर वाद को निष्पादित करते हुए न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"In this view of the matter, this Court disposed of this writ petition directing the respondents' authority to take appropriate steps in accordance with law within a fixed time."

तदालोक में श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध संचालित कार्यवाही उसी बिन्दु से प्रारंभ किया गया, जहाँ से दिनांक– 20.04.2018 को पारित अंतरिम आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Status Quo लगाये जाने के उपरांत उनके विरूद्ध संचालित कार्यवाही रोक दी गयी थी।

12. इसी दौरान श्रीमती रेणु सिन्हा दिनांक– 31.05.2021 को सेवानिवृत्त हो गयी। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से श्रीमती रेणु सिन्हा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही चलाये जाने एवं उन्हें पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की अनुमान्यता के बिन्दु पर मांगे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0– 1882 दिनांक– 06.02.2020 एवं 585 दिनांक– 09.01.2024 में निहित प्रावधानों से अवगत कराते हुए नियुक्ति प्राधिकार–सह–अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में निर्णय लेने से संबंधित मार्गदर्शन संसूचित किया गया है। उक्त मार्गदर्शन में यह भी उल्लेखित है कि यदि आरोपित सरकारी सेवक के सेवाकाल में ही उसके विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत हो अथवा उसे निलम्बित किया गया हो, तो मामला कालबाधित नहीं होगा तथा ऐसे मामले में दण्ड देने के सक्षम प्राधिकार वहीं होंगे, जो सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार हो।

13. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0– 1882 दिनांक– 06.02.2020 में आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध/सजायाफ्ता सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधान के तहत् कार्रवाई किये जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त परिपत्र के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 2527/2009 में दिनांक– 13.02.2012 को पारित न्यायादेश तथा इस संदर्भ में

महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के हवाले से विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया है।

उक्त विभागीय परिपत्र के कंडिका–5 में विचाराधीन विषय पर विद्धान महाधिवक्ता का परामर्श निम्नवत उल्लेखित है :–

".....Rule 43(a) of the said Rules vests power in the Provisional Government to withdraw or withhold pension or any part of it, if the pensioner is convicted of serious crime or grave misconduct. The provision clarifies that "future good conduct" is an implied condition of every grant of pension. Thus, apparently, this provision controls events arising out after retirement of an employee because good conduct of a pensioner is a condition for every grant of pension and if his conduct is found wanting in view of his conviction for serious crime or guilty for grave misconduct then, the pension earlier granted can be withheld or withdrawn either in full or in part. The Division Bench of Patna High Court has also clarified this view in its judgment dated 31.02.2012 passed in CWJC No. 2527/2009.

.....

Thus, in case an order of conviction and sentence is passed against a pensioner by the criminal court for commission of any serious and grave offence/misconduct omitted while he was in service, then the State Government may in exercise of power vested under Rule 43(b) can take action of withholding/withdrawing his pension or part thereof by simply issuing a show cause notice. Since the employee has already been proceeded judicially in the criminal case and conviction order has been passed holding him guilty of charges, no separate proceeding is required to be instituted under Rule 43(b) except a simple show cause to respond on order of conviction."

14. चूँकि निगरानी न्यायालय विशेष वाद सं0–61/2007, निगरानी थाना कांड सं0– 96/2007 दिनांक– 17.08.2007 में विशेष न्यायाधीश, निगरानी (ट्रैप), पटना द्वारा दिनांक– 06.05.2016 को पारित न्यायादेश में श्रीमती रेणु सिन्हा को दोषी मानते हुए 02 साल की सजा एवं 10,000/– रू0 जुर्माना किया गया है। इस प्रकार श्रीमती रेणु सिन्हा का कृत्य संदिग्ध शीलनिष्ठा का परिचायक है तथा रिश्वत की राशि लेकर इनके द्वारा गंभीर अपराध/कदाचार किया गया है, जो सरकारी सेवक के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

15. तदालोक में इस कार्यालय के पत्रांक 476/स्था0 दिनांक–03.07.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली का नियम–43(बी) के तहत् श्रीमती सिन्हा से संदर्भित मामले में बचाव–बयान का लिखित अभिकथन की माँग की गयी थी। श्रीमती सिन्हा द्वारा अपना लिखित अभिकथन दिनांक– 15.07.2024 को समर्पित किया गया है। उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन में किसी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया, जो विचारणीय हो।

16. श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में निगरानी न्यायालय विशेष वाद सं0–61/2007, निगरानी थाना कांड सं0– 96/2007 दिनांक– 17.08.2007 में विशेष न्यायाधीश, निगरानी (ट्रैप), पटना द्वारा दिनांक– 06.05.2016 को पारित न्यायादेश एवं आरोपी से प्राप्त लिखित अभिकथन पर सम्यक् समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार (आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना) द्वारा यह पाया गया कि रिश्वत की राशि प्राप्त कर श्रीमती सिन्हा द्वारा गंभीर अपराध/कदाचार किया गया है। साथ ही इनका कृत्य संदिग्ध निष्ठा का परिचायक है। अतएव श्रीमती सिन्हा के लिखित अभिकथन का अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत् इनका शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती (जब्त) की अनुशंसा राज्य सरकार (विभागीय मंत्री) से करने हेतु निर्णय लिया गया।

17. तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 806 दिनांक– 16.01.2018 की कंडिका–7(iii)के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 525/स्था0 दिनांक– 24.07.2024 द्वारा श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध दण्ड विनिश्चय के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदन हेतु समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया।

तदालोक में समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6932 दिनांक– 31.12.2024 द्वारा श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध विनिश्चय दण्ड प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

18. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, माननीय विभागीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुमोदन एवं अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती रेणु सिन्हा, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, इस्लामपुर, नालन्दा सम्प्रति– सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत् इनका **शत–प्रतिशत (100%) पेंशन कटौती (जब्त) करने** का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह0/–
आयुक्त,
पटना प्रमंडल, पटना।

ई–मेल/फैक्स
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः–स्था०–XII–08/2007_____/स्था०,पटना, दिनांक–_____,2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, आई०सी०डी०एस०, बिहार, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/पटना/संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नालन्दा/पटना/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इस्लामपुर, नालन्दा/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुनपुन–सह–सम्पतचक, पटना/श्रीमती रेणु सिन्हा, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, इस्लामपुर, नालन्दा सम्प्रति– सेवानिवृत स्थायी पता–श्रीमती रेणु सिन्हा, पति– श्री महेश प्रसाद, ग्राम+पो0– बलही, भाया– चापरम कोठी, जिला– सहरसा, पिनकोड– 852106 (**आधार कार्ड के अनुसार पता**– श्रीमती रेणु सिन्हा, पति– महेश प्रसाद, आकाशवाणी रोड, इलेक्ट्रिक ऑफिस के पीछे, खाजपुरा, रूकनपुरा, पटना– 800014) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
आयुक्त,
पटना प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांकः–स्था०–XII–08 / 2007 55 / स्था०,पटना, दिनांक– 22/01/,2025

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, गोपनीय कोषांग, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को प्रमंडलीय कार्यालय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
पटना प्रमंडल, पटना।